



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012026-269338
CG-DL-E-14012026-269338

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947

No. 29]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

सं. 02/2026- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 29(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, आंध्र प्रदेश राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (ग) के बाद और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(घ) भोगापुरम	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई।”।

[फा. सं. 394/112/2020-कस (ए एस)]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 828 (अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 25/2025-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 15 अप्रैल, 2025, सा.का.नि. 227 (अ), दिनांक 15 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2026

No. 02/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely :-

In the said notification, in the Table, against serial number 2 relating to the State of Andhra Pradesh, in column (3), after the entry at (c) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(d) Bhogapuram	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”.

[F. No. 394/112/2020-cus(AS)]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note : The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 25/2025-Customs (N.T.) dated the 15th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 227 (E), dated the 15th April, 2025.